प0सं0–14/डी0एल0ए0 (ग्रिड सब–स्टेशन)–किशनगंज–179/2013–................/रा0, पटना–15, दिनांक–..../...../2013

बिहार सरकार,
राजस्व एंव भूमि सुधार विभाग,
भू–अर्जन प्रशाखा,

(अधिघोषणा)

पत्रांक......2629......./आर0, पटना, दिनांक....18/11/13

चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि किशनगंज जिला के कोचाधामन अंचल अन्तर्गत मौजा–सिंधिया चकन्द्रा, थाना नं0–56 के अंचल –कोचाधामन, परगना–सूरजापुर, जिला – किशनगंज में सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात 220/132/33 K.V. ग्रिड सबस्टेशन निर्माण हेतु सरकार के खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इस लिए अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ मौजा–सिंधिया चकन्द्रा, थाना नं0–56 के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कमोबेश रकवा 20 एकड़ के बराबर होता है, जिसका प्लॉट संख्या निम्नांकित है :–

खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकवा (एकड़ में)	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकवा (एकड़ में)
48	359	0.15	68	375	0.40
96	360	0.57	68	376	6.75
46	361	0.45	68	377	1.65
24	362	0.46	78	349	0.96
96	363	0.50	96	350	0.62
48	364	0.39	46	351	0.64
78	365	1.40	96	352	0.45
94	366	0.25	23	353	0.10
85	367	0.14	68	358	0.35
46	368	0.25	48	367/668	0.09
68	373	3.00	68	372	0.25
68	374	0.18		कुलः–	**20.00**

चौहद्दी :– उत्तर :– सड़क (खेसरा सं0–288)
दक्षिण :– खेसरा सं0– 356, 340 अंश
पूरब :– खेसरा सं0–284, 437
पश्चिम :– पक्की सड़क

भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़ने वाले कोयला,लोहा,स्लेट,अन्य खनिज एंव खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों एंव खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है, उसके निर्माण के लिए खोदना, हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक हो तो लिए जायेंगे ।

यह अधिघोषणा भू–अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 और अधिनियम, 18, 1885 की धारा 3 (क) खण्ड (1) के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे संबंध हो। भूमि का नक्शा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, किशनगंज के कार्यालय में कार्यालय दिवस देखा जा सकता है।

समाहर्त्ता,
किशनगंज।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0 –
सरकार के अवर सचिव,

ज्ञापांक.......2629........../भू–अर्जन, पटना, दिनांक.....18/11/13

प्रतिलिपि :: निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को अधिघोषणा की तीन प्रतियाँ सहित (दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो) प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, किशनगंज को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :: उप समाहर्त्ता प्रभारी, जिला गजट, किशनगंज को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एंव प्रकाशित जिला गजट की दस–दस (10–10) प्रतियॉं इस विभाग एवं जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, किशनगंज को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :: समाहर्त्ता, किशनगंज / जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :: आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।